पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

PCPO's Cir. Sl. No.22/2025

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/0001/2025 (Com.No.309129) Date: As Signed

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः- **रेल द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से सेवानिवृत कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियों के लिए बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच की व्यवस्था 01.11.2024 से 31.10.2027 तक अगले 03 वर्षों के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में।**

संदर्भः- Railway Board's letter No.-2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड(सीजीएचएच), Dated-02.01.2025.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Signed by
Prakash Kumar Singh
Date: 03-04-2025 16:00:25

सकाधि/ई.एस.एम.
कृतें महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरईयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
25 FEB 2025
रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं० 06

PCMD
PCPO
PFA

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड (सीजीएचएस) नई दिल्ली, 02.01.2025

महाप्रबंधक,
उत्पादन इकाइयों सहित, सभी क्षेत्रीय रेलें,
आरडीएसओ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।

म० प्र०
सचिव

विषयः रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियों के लिए बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच की व्यवस्था - 01.11.2024 से 31.10.2027 तक अगले 03 वर्षों के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में।

संदर्भः रेलवे बोर्ड का दिनांक 19.09.2023 का समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न)

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालो के विशेषज्ञो से 75 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले सेवानिवृत कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियो के लिए बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच के लिए 01.11.2023 से 31.10.2024 तक प्रायोगिक परियोजना के रूप मे एक वर्ष के लिए व्यवस्था के संबध में नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

बोर्ड कार्यालय में वित्त निदेशालय के परामर्श से प्रायोगिक परियोजना की जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले सेवानिवृत कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक परियोजना को 01.11.2024 से 31.10.2027 तक अगले 03 वर्षों के लिए बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

क्षेत्रीय रेलों को सूचित किया जाता है कि इस योजना के संबंध में संबंधित सेवानिवृत कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) लाभार्थियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाए।

(डॉ. नमिता नेगी)
कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (सा.)
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय

सं.2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड (सीजीएचएस) नई दिल्ली, 02.01.2025

1. प्रधान निदेशक महालेखा परीक्षा, उत्पादन इकाइयों सहित सभी क्षेत्रीय रेले, आरडीएसओ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।

2/-

2. भारत के उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

02.1.2025

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

सं.2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड (सीजीएचएस) नई दिल्ली, 02.01.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्पादन इकाइयों सहित सभी क्षेत्रीय रेलें, आरडीएसओ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, उत्पादन इकाइयों सहित सभी क्षेत्रीय रेलें, आरडीएसओ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।
3. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्पादन इकाइयों सहित सभी क्षेत्रीय रेलें, आरडीएसओ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।

(डॉ. नमिता नेगी)
कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (सा.)
रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय

सं.2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड (सीजीएचएस) नई दिल्ली, 02.01.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए एवं 268 रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोशिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलोईज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
12. जनरल सेक्रेटरी, रिटार्यड रेलवे इम्प्लाइज वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक/औद्योगिक संबंध, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

एफ (ई) स्पेशल शाखा एवं ईआरबी-III शाखा रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

1622685/2023/Health Section

2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS) 3

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)/ RAILWAY BOARD

सं. 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड(सीजीएचएस) नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2023

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें
उत्पादन इकाइयां, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित।

विषय: रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच की व्यवस्था – 01.11.2023 से 31.10.2024 तक एक वर्ष के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में।

कुछ समय से 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए रेलवे द्वारा सीधे पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श और संबंधित जांच की व्यवस्था का मामला रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करता रहा है। इस मुद्दे पर विचार करने के बाद, रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(i) 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई से, जिसके तहत लाभार्थी पंजीकृत है, रेफरल के बिना सीधे रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों से ओपीडी परामर्श लेने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) यदि किसी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सूचीबद्ध जांच/चिकित्सा-पद्धति के लिए कहा जाता है और वह आपातकाल में किए जाने की आवश्यकता है तो किसी अन्य प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी, और वह कैशलेस प्रक्रिया में उस शहर के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दरों पर या रेलवे के साथ समझौता-ज्ञापन के अनुसार पैनलबद्ध अस्पताल से करवाई जा सकती है। लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित और पैनलबद्ध अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित यूएमआईडी कार्ड की प्रति, दवा के पर्चे/ रिपोर्ट की प्रति और घोषणा-पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के साथ बिल उस रेलवे को भेजा जाएगा जिसके तहत वह अस्पताल भुगतान हेतु पैनलबद्ध है।

(iii) गैर-आपातकाल मामलों में, (क) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना गैर सूचीबद्ध जांच/नियोजित चिकित्सा-पद्धतियाँ; और (ख) उन केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सूचीबद्ध जांचें करवाने के लिए, जिनकी लागत 10000/- रु. से अधिक है, जब भी पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ द्वारा कही जाएं, तब रेल से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(iv) निजी रेल पैनलबद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निर्देशित दवाएं उपलब्ध रेल डॉक्टर के प्राधिकार पर संबंधित रेल अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा जारी की जाएंगी।

(v) रेल के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पताल 75 वर्ष से अधिक आयु के रेल लाभार्थियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दरों पर कैशलेस आधार पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल वैध यूएमआईडी कार्ड और लाभार्थी द्वारा, जिन्होंने सुविधाओं का लाभ उठाया है, हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र के साथ पैनलबद्ध अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पृष्ठांकित बिल जमा करवाएंगे।

(vi) यह सुविधा केवल 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए है जो रेल अस्पतालों/ स्वास्थ्य इकाइयों में ओपीडी परामर्श के लिए पात्र हैं। **यह सुविधा एफएमए के साथ यूएमआईडी कार्ड रखने वाले लाभार्थियों के लिए नहीं है।**

(vii) ये दिशानिर्देश बोर्ड के दिनांक 16.06.2021 के पत्र सं. 2018/ट्रांससेल/हेल्थ/सीजीएचएस (ईऑफिस नं. 327783) के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेशों का अधिक्रमण नहीं करेंगे, जो कि आपातकालीन मामलों/आईपीडी मामलों के लिए लागू रहेंगे, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया है।

(viii) यह प्रायोगिक परियोजना केवल एक वर्ष अर्थात 01.11.2023 से 31.10.2024 के लिए है। **रेलें प्रायोगिक परियोजना की अवधि निरपवाद रूप से सुनिश्चित करेंगी।**

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूएमआईडी कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जाए, रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा वर्तमान योजना पर उपगत व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा जाए।

(x) पैनलबद्ध अस्पतालों को एचएमआईएस की एक्सेस उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि डेटा को कुशलता से कैप्चर किया जा सके और जब भी आवश्यकता हो, पुनर्प्राप्त किया जा सके।

(डॉ. ए. के. मल्होत्रा)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/ स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड।

सं. 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड(सीजीएचएस) नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2023

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के पीसीएमडी/पीसीएमओ।
2. उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान वित्त सलाहकार।
3. उत्पादन इकाइयां, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी।

(डॉ. ए. के. मल्होत्रा)
प्रधान कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड।

2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS)

1622685/2023/Health Section

सं. 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड(सीजीएचएस) नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2023

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1.उत्पादन इकाइयों अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी सहित सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक।

2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

19.9.2023

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

सं. 2023/एच/28/1/आरईएलएचएस/एम्पैनल्ड(सीजीएचएस) नई दिल्ली, दिनांक: 19.09.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

- जनरल सेक्रटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
- जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
- विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- महासचिव, एफआरओए और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए और 268, रेलवे बोर्ड।
- जनरल सेक्रटरी, ऑल इंडिया रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएसएस ग्रुप ' बी ' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
- सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
- जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- महासचिव, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

एफ (ई) रेलवे बोर्ड की विशेष शाखा और ईआरबी-III शाखा, नई दिल्ली।

2023/H/28/1/RELHS/Empanelled(CGHS)

1622685/2023/Health Section

रेलवे के पैनलबद्ध अस्पताल में प्रयोग की गई सुविधाओं के संबंध में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के रेल लाभार्थी द्वारा घोषणा

मैंने, _____ (नाम), अधोहस्ताक्षरी, यूएमआईडी कार्ड नं. _____ के धारक ने _____ (अस्पताल का नाम) में (ओपीडी/जांच/चिकित्सा-पद्धति) _____(दिनांक) को, का लाभ उठाया है

पैनलबद्ध अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर _____

प्राधिकारी का नाम _____

पदनाम _____

अस्पताल का नाम _____

मोबाइल नं.: _____

ईमेल आईडी _____

रेलव लाभार्थी के हस्ताक्षर _____

रोगी का नाम _____

यूएमआईडी कार्ड नं. _____

मोबाइल नं.: _____

ईमेल आईडी _____